भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.1723

जिसका उत्तर 28.11.2019 को दिया जाना है

सर्विस रोड का निर्माण

1723. श्री रमेशभाई एल॰ धड़ुकः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनएचएआई द्वारा गुजरात के जैतपुर-सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैशोड के कोयलाना गॉव और पीपरी पटिया के समीप सर्विस रोड के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) एनएचएआई द्वारा जैतपुर-सोमनाथ राजमार्ग के गोदाई टोल नाके पर स्थानीय वाहनों को पथकर संबंधी छूट प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा-8डी) का जैतपुर-सोमनाथ पर सर्विस रोड का निर्माण रियायत समझौता में प्रावधानों के अनुसार 4-लेन बनाते समय किया गया था। कोयलाना के नजदीक सर्विस रोड के रास्ते पर एक मौजूदा मंदिर के कारण व्यवहार्य नहीं था। यदि व्यवहार्य हुआ तो पीपरी-पटिया पर सर्विस रोड का प्रावधान क्षमता संवर्धन के समय किया जाएगा।

(ख): राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर और उदग्रहण निर्धारण) नियमावली, 2008 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-8डी के जैतपुर-सोमनाथ खंड पर गदोई प्लाजा में प्रयोक्ता शुल्क उदग्रहीत किए जाते हैं। तथापि, स्थानीय प्रयोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से टोल प्लाजा पर निम्नलिखित छूट/पासेस उपलब्ध होते हैं:

(i) एकल प्रवेश दर का 1.5 गुना पर बहुल यात्रा टिकट (अधिकतम दो एक तरफी यात्रा);

(ii) एक महीने में अधिकतम 50 यात्रा के लिए मासिक पास (50 एकल यात्राओं के लिए दो/तिहाई राशि);

(iii) जिला (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों के अलावा) के भीतर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए एकल यात्रा का 50% की दर से रियायती टिकटें और

(iv) टोल प्लाजा के 20 किमी के भीतर रहने वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत यांत्रिक वाहनों के लिए मासिक पास वर्ष 2018-19 के लिए 255 रु. है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर और उदग्रहण निर्धारण), नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष संशोधन के शर्ताधीन है।

******